



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 19 फरवरी, 2013/30 माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 2013

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ(5) 7/2011.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नगारडा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी-मण्डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लाके निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र वर्ग मीटर में
हमीरपुर	नादौन	नगारड़ा	274 / 2	455.00
कुल जोड किता-1				455. 00

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव(लोक निर्माण)।

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th February, 2013

No. TBD(A)4-1/2011.—The Governor. Himachal Pradesh is pleased to withdraw Notification No. TD(A)4-5/82-11 dated 18 October 2008 & even number ,dated 28th February 2011, 18th April 2011, 9th August 2011, 23rd August 2011 and 25th August 2011 with immediate effect in the public interest vide which the Project Advisory Committees for ITDPs Kinnaur, Kaza , Keylong, Pangl and Bharmour was constituted.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (TD).

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 फरवरी, 2013

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-14/2012-हमीरपुर-1.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव मनवीं तहसील भोरंज जिला हमीरपुर में उठाऊ पेयजल योजना लघमनवीं जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता,

भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र कनाल—मरले में
हमीरपुर	भोरंज	मनवीं	1437/1	01-09

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 29, दिसम्बर, 2012

संख्या मुद्रण(बी)10—53/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, सहायक अनुभागपाल, (अक्षरयोजन), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल(अक्षरयोजन), वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(i) अधिसूचना संख्या मुद्रण(बी)2—9/97 तारीख, 7—3—2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) वर्ग—III अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्यवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन), वर्ग— III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन)
2. पदों की संख्या.—02 (दो)
3. वर्गीकरण.—वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—पे बैंड ₹ 5910–20200/— जमा ₹ 3000/—ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—₹ 8910/— (स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रति मास।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.—अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं.—

(क) अनिवार्य अहर्ताएं—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो पास या इसके समतुल्य।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समयक रूप से मान्यता प्राप्त, किसी संस्थान से अक्षरयोजन के ट्रेड में दो वर्ष का नेशनल ट्रेड/शिक्षता प्रमाण पत्र रखता हो।

(ii) सरकारी मुद्रणालय/आई एसओ प्रमाण पत्र रखने वाले प्राईवेट मुद्रणालय की अक्षरयोजन शाखा में पर्यवेक्षी हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अहर्ता(ए).—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.— आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अहर्ता.— हां, जैसा स्तम्भ संख्या-11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.— शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा.—संगणक (अक्षरयोजन) तथा अक्षरयोजकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो। और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो :

“प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवा काल के आधार पर, उनकी संवर्गवार तथा पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।”

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी सरंचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि में विस्तार/नवीकरण किया जाएगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) को ₹ 8910/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी)

प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 270/-की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 8910/-की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 270/- (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल,के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने—सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) के रूप में,..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि में विस्तार/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 8910/-प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सहायक अनुभागपाल (अक्षरयोजन) को उपरोक्त कि सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अव्यतीत आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (B)10-53/2010 dated 29-12-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th December, 2012

No. Mudran (B)10-53/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder(Composing), Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services ,Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.— (1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder (Composing) Class-III (Non-Gazetted)(Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules 2001, notified vide Notification No: Mudran (B)2-9/97 dated 7-3-2001 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under subrule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary (P&S).

ANNEXURE “A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT SECTION HOLDER (COMPOSING) CLASS-III (NON-GAZETTED) , IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.— Assistant Section Holder (Composing)

2. Number of Post(s).— 02 (Two)

3. Classification.— Class-III(Non-Gazetted) Non –Ministerial- Services

4. Scale of Pay.— (i) *Pay Scale for regular incumbents.*— ₹ 5910-20200/-+3000 Grade Pay .

(ii) *Emoluments for contract employees.*— ₹ 8910/- P.M (as per details given in Col.15-A)

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non –Selection.**6. Age for direct recruitment.—**Between 18 and 45 years :

Provided that, that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such corporations /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—*Essential Qualification(s).*—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized university /Board of School Education .

(ii) Two years National Trade /Apprenticeship Certificate Course in the trade of composing from a recognized I.T.I. or from an Institution duly recognised by the Central /State Government.

(iii) Three years experience in supervisory capacity in in composing section of Government Press/ an ISO certified Private Printing Press.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not applicable *Educational Qualification* : Yes, as prescribed in Col No.11

9. Period of probation , if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Computer (composing) and Compositors who have passed 10+2 or its equivalent Examination from a recognized Board of School Education and having 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

“For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prescribed.”

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Assistant Section Holder (Composing)** in Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Section Holder (Composing) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹8910/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 270/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure –B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ R8910/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 270 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post)) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical leave can be accumulated upto the Calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis where ever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc . as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure “B”

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Section Holder (Composing) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery.- H.P.

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....Between.....Sh/Smt.....S/o/D/oShri.....R/o.....

....., Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY) Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as **Assistant Section Holder (Composing)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Assistant Section Holder (Composing)** for a period of one year commencing on day ofand ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----- . And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be R.8910 /-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual **Assistant Section Holder (composing)** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above admissible to the contractual **Assistant Section Holder (composing)**.

Provided that the un-availed Casual leave and Medical leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Assistant Section Holder (composing)** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

 (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.....

 (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

 (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.....

 (Name and full Address)

**In the Court of Shri Karm Chand, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. 8/NT/13

1. Shri Sanjiv Puri s/o Late Shri Jagdish Puri, V. P. O. Sukkar, Tehsil Dharamshala.
 2. Smt. Shruti Sharma d/o Shri Mukesh Kumar, Village Upper Barol, P. O. Dari, Tehsil Dharamshala
- .. Applicants.*

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 30-4-2006 at Sukkar but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 30-3-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on 8-2-2013.

Seal.

KARM CHAND,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

**In the Court of Shri Karm Chand, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. 5/NT/13

1. Shri Rajat Dogra s/o Late Shri S. K. Dogra, r/o Ward No. 5 Chander Marg, K. B. Dharamshala.
2. Smt. Shikha Dogra d/o Shri Yashpal Sharma, V. P. O. Rajol, Tehsil Shahpur
... Applicants.

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their Marriage on 7-12-2009 at Kotwali Bazar Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, M. C. Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 30-3-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on 12-2-2013.

Seal.

KARM CHAND,

*Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर 06/तह0/2013

श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी मुहाल सौड कलां, मौजा खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्राथी ।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र गुमशुदा राम स्वरूप की जायदाद का इन्तकाल वारसान के नाम मुतउलखबरी द्वारा दर्ज करने बारे ।

उपरोक्त प्राथी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसका भाई श्री राम स्वरूप पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी मुहाल सौड कलां, मौजा खरयाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश आज से अरसा 30—35 वर्ष पहले घर छोड़ कर चला गया है । आज दिन तक घर वापिस नहीं आया है और प्राथी का यह कथन है कि उसका भाई राम स्वरूप उपरोक्त शायद अब जीवित नहीं है । इस लिए राम स्वरूप की जायदाद का इन्तकाल रामस्वरूप के जायज वारसान के नाम बजरिया मुतउलखबरी इन्तकाल द्वारा दर्ज करने बारे अनुरोध किया है ।

इस सम्बन्ध में राम स्वरूप उपरोक्त का व सर्वसाधारण को बजरिया इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राथी श्री इन्दर कुमार के भाई श्री राम स्वरूप के जीवित होने का कोई प्रमाण हो तो वह दिनांक 8—3—2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके उसकी जायदाद का मुतउलखबरी इन्तकाल उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 7—2—2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर 02/तह0/2013

श्री राज कुमार पुत्र श्री साई दास, निवासी मुहाल दवकेहड, मौजा मंझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि स्कूल प्रमाण—पत्र व पंचायत परिवार रिकॉर्ड में मेरा नाम राज कुमार पुत्र श्री साई दास दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल दवकेहड, मौजा मंझीण के रिकॉर्ड में राज मल गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे ठीक किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री राज कुमार के गलत नाम राज मल को उपनाम राज कुमार राजस्व अभिलेख के रिकॉर्ड में दुरुस्त दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2013 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न हाने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पिकी शर्मा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती पिकी शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी वार्ड नं० 4, के० वी० धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र राघव शर्मा की जन्म तिथि 12-6-1992 है परन्तु एम० सी० धर्मशाला में उक्त जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया

जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे राघव शर्मा की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-3-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 6-2-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**Before Shri Narinder Pal, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh**

Case No. 4/2013

Date of Institution : 12-2-2013

Date of decision/ Pending for 20-3-2013

Shri Sanjay son of Shri Charan Singh, resident of Village Naya Nagar, P. O. Subathu,
Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Sanjay son of Shri Charan Singh, resident of Village Naya Nagar, P. O. Subathu, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter namely Vanshika born on 16-1-2011 at Village Naya Nagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the birth and death record of Gram Panchayat Jadla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kumari Vanshika daughter of Shri Sanjay may submit his objection in writing in this court on or before 20-3-2013 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 12th day of February, 2012.

Seal.

NARINDER PAL,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित